यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

ीठासीन अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS

ादपत्र अन्तर्गत धाराः- 88 आर.टी.ए.

करण संख्याः- 446/2025

1. माया पत्नी श्री राकेश कुमार जाति जाट निवासी झाम्बर, तहसील व जिला हनुमानगढ
2. साहिल पि.मु. श्री राकेश कुमार आयु 16 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वली माता माया पत्नी श्री राकेश कुमार जाति जाट निवासी झाम्बर, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
3. राहुल पि.मु. श्री राकेश कुमार आयु 14 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वली माता माया पत्नी श्री राकेश कुमार जाति जाट निवासी झाम्बर, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

-:वादीगण

बनाम

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ

-:प्रतिवादी

उपस्थित :-

1. श्री रमेश कुमार वर्मा - अधिवक्ता वादीगण
2. राज पैरोकार - प्रतिवादी

-:निर्णय:-

दिनांक 26.12.2025

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि यह कि वादीगण एंव प्रतिवादी का पंजीबद्ध एवं प्रमाणित पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो शीर्षक वाद पत्र में निवेदित किया गया है।

यह कि वादीगण के नाम चक 6 एसएसडब्लयू, तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 98/137 में कुल दर्ज 2.024 हैक्टेयर भूमि में 169/2024 हिस्सा वादीगण प्रत्येक के नाम चक 6 एसएसडब्ल्यू खाता सं. 61/60 में दर्ज कुल 4.554 भूमि में 7/759 हिस्सा तथा वादीगण प्रत्येक के नाम चक 6 एसएसडब्ल्यू खाता सं. 97/138 में दर्ज कुल 1.265 हैक्टेयर भूमि में 42/1265 हिस्सा दर्ज रिकार्ड हे।

यह कि वाद पत्र की चरण संख्या में दर्ज कृषि भूमि पूर्व में राय साहब पुत्र लिछ्मणराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। रायसाहब पुत्र लिछ्मणराम की दिनांक 05.09.2013 को मृत्यु हो चुकी है तथा मृत्यु उपरान्त रायसाहब के जायज व कानूनी वारिसान वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि दर्ज हुई तथा वादीया संख्या 1 द्वारा राकेश कुमार पुत्र काशीराम से विवाह कर लिया और वादीगण संख्या 2 व 3 को विवाह के समय से ही गोद ले लिया तथा रीति रिवाज के अनुसार प्रसाद बांटा गया और गोदनामा वादीगण संख्या 2 व 3 को राकेश कुमार द्वारा गोद लिया गया। वादीगण संख्या 2 व 3 के स्कूल रिकार्ड में उनके पिता का नाम राकेश कुमार दर्ज है व आधार कार्ड, जन आधार कार्ड आदि दस्तावेजात में वादीगण के पति/पिता का नाम राकेश कुमार दर्ज है तथा जन आधार कार्ड, आधार कार्ड तथा अन्य दस्तावेजात में राकेश कुमार दर्ज है परन्तु वाद पत्र की चरण संख्या 2 में दर्ज कृषि भूमि में वादीगण के पति/पिता का नाम रायसाहब दर्ज है।

ह कि वादीगण ने प्रतिवादी को निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि भूमि में
ण के पति/पिता का नाम रायसाहब के स्थान पर पि.मु. राकेश कुमार की शुद्धि व घोषणा
कर राजस्व रिकार्ड में अंकन कर देवे परन्तु प्रतिवादी ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया।
वाद का कारण है।

« वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई।
ादी ने जवाब स्टेट पेश कर राजहित सुरक्षित रखते हुए वाद पत्र डिक्री किए जाने में
पति व्यक्त की। तहसील पत्रांक भू.अ./2025/4020 दिनांक 08.12.2025 द्वारा तथ्यात्मक
ई प्राप्त हुई जिसमें खाता सं. 61 में माया पुत्र दर्ज रिकार्ड है जो सेग्रीगेशन के दौरान
न से दर्ज हो गया जबकि पूर्व की जमाबंदी संवत 277-80 में माया पत्नी रायसाहब दर्ज
ई है। पत्रावली में मौजूद गोदनामा का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।
वली का अवलोकन किया। दौराने बहस वादीपक्ष ने मुताबिक वाद दावा डिक्री किए जाने का
दन किया। उपलब्ध दस्तावेजों व तहसीलदार हनुमानगढ की रिपोर्ट अनुसार के आधार पर वाद
स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः वाद वादीगण निर्णित किया जाता है व घोषणा की जाती है कि:- चक 6
एसडब्लयू, तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 61/60, में दर्ज खातेदार नाबालिग राहुल पुत्र
यसाहब संरक्षक कुदरती वली माता माया, खातेदार नाबालिग साहिल पुत्र रायसाहब संरक्षक
दरती वली माता माया व माया पुत्र की जगह व इसी चक के खाता संख्या 97/138 में दर्ज
ातेदार नाबालिग राहुल पुत्र रायसाहब संरक्षक कुदरती वली माता माया, खातेदार नाबालिग
ाहिल पुत्र रायसाहब संरक्षक कुदरती वली माता माया, व माया पत्नी रायसाहब की जगह व
सी चक के खाता सं. 98/137 में दर्ज खातेदार राहुल नाबा. पुत्र रायसाहब, माया पत्नी
ायसाहब व साहिल नाबा. पुत्र रायसाहब की जगह उक्त तीनो खातों में नाबालिग राहुल पुत्र
ाकेश कुमार संरक्षक कुदरती वली माता माया, नाबालिग साहिल पुत्र राकेश कुमार संरक्षक
ुदरती वली माता माया, व माया पत्नी रायसाहब की जगह माया पत्नी राकेश कुमार दर्ज कर
ाजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को
आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, उक्त
आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु.
गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना
वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से
लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

नोट:- रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारीः- (मांगी लाल) RAS
प्रकरण संख्याः- 446/2025

1. माया पत्नी श्री राकेश कुमार जाति जाट निवासी झाम्बर, तहसील व जिला हनुमानगढ राज0
2. साहिल पि.मु. श्री राकेश कुमार आयु 16 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वली माता माया पत्नी श्री राकेश कुमार जाति जाट निवासी झाम्बर, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
3. राहुल पि.मु. श्री राकेश कुमार आयु 14 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वली माता माया पत्नी श्री राकेश कुमार जाति जाट निवासी झाम्बर, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

-ःवादीगण

बनाम्

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ

-ःप्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धाराः- 88 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ मांगी लाल आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री रमेश कुमार वर्मा वकील वादीगण मिन जामिन मुदई राजपैरोकार मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाकर घोषणा की जाती है किः- चक 6 एसएसडब्लयू, तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 61/60, में दर्ज खातेदार नाबालिग राहुल पुत्र रायसाहब संरक्षक कुदरती वली माता माया, खातेदार नाबालिग साहिल पुत्र रायसाहब संरक्षक कुदरती वली माता माया व माया पुत्र की जगह व इसी चक के खाता संख्या 97/138 में दर्ज खातेदार नाबालिग राहुल पुत्र रायसाहब संरक्षक कुदरती वली माता माया, खातेदार नाबालिग साहिल पुत्र रायसाहब संरक्षक कुदरती वली माता माया, व माया पत्नी रायसाहब की जगह व इसी चक के खाता सं. 98/137 में दर्ज खातेदार राहुल नाबा. पुत्र रायसाहब, माया पत्नी रायसाहब व साहिल नाबा. पुत्र रायसाहब की जगह उक्त तीनो खातों में **नाबालिग राहुल पुत्र राकेश कुमार संरक्षक कुदरती वली माता माया, नाबालिग साहिल पुत्र राकेश कुमार संरक्षक कुदरती वली माता माया, व माया पत्नी रायसाहब की जगह माया पत्नी राकेश कुमार दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।** तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार का कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज XXX नल XXX मुब्लिक XXX निल XXX बाबत् XXX निल XXX खर्चा मुकदमें के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तारीख तक XXX अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 26.12.2025 को जारी किया गया।

नोटः- डिक्रीत आराजी रहन हो, तो बाद रहन मुक्त के डिक्री का निष्पादन किया जावे।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ